आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल भोपाल

क्रमांक / एस.एच.ए. / ए.बी. / 2018 / **भोपाल, दिनांक / 11 / 2018**

:: आदेश ::

आयुष्मान भारत म.प्र. 'निरामयम' में निजी चिकित्सा एवं संस्थाओ के एम्पेनल हेतु (A)जीवित एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र, (B) भौतिक सत्यापन एवं जिला स्तरीय दल की अनुशंसा, (C) राज्य स्तरीय द्वारा अनुमोदन तथा (D) एम.औ.यू. हस्ताक्षर के चार चरण अपनाए जाते है।

इसमे एस.आई.ए.एफ. तथा एम.आर. मे पंजीबद्ध संस्थानो को चरण (B) से विमुक्ति प्रदान की गई थी।

इस आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ निर्मित होती है।

(i) नवीन एम्पेनल्ड संस्थान

(ii) एस.आई.ए.एफ. एम्पेनल्ड एवं तदानुसार आयुष्मान भारत हेतु डीम्ड एम्पेनल्ड

(iii) एम. आर. एम्पेनल्ड एवं तदानुसार आयुष्मान भारत हेतु डीम्ड एम्पेनल्ड

उपरोक्त के विषय मे एम्पेनल्मेन्ट की निरंतरता हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते है ।

(i)– नवीन एम्पेनल्ड संस्थान :– एम.ओ.यू. तथा एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र जीविता के अंतिम दिंनाक (जो भी पहले हो) तक इम्पेनल्ड रहेगे। एन.ए.बी.एच. समाप्त होने की स्थिति मे संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि के न्यूनतम एक माह पूर्व आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक का समय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये दिया जा सकेगा। इसके उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति के संस्थान स्वतः डीइम्पेनल्ड हो जाएगा।

एम.ओ.यू. यदि एन.ए.बी.एच. से पूर्व समाप्त होता है, तो एम.ओ.यू. अंतिम दिनांक के पूर्व नवीनीकृत करवाना आवश्यक होगा।

(ii)– एस.आई.ए.एफ :– एम्पेनल्ड तथा तदानुसार आयुष्मान भारत हेतु डी–एम्पेनल्ड जिस एस.आई.ए.एफ. संस्था का एन.ए.बी.एच. दिनांक 31.03.2019 (एस.आई.ए.एफ. प्रवर्तित रहने का अंतिम दिनांक) के पूर्व समाप्त हो जाता है उन्हें अधिकतम 31/03/2019 तक एम्पेनल्ड मान्य किया जावेगा।

दिनांक 31.03.2019 के बाद संस्था को अनिवार्यतः आयुष्मान योजना मे शामिल होने हेतु नियमानुसार आवेदन करना होगा जिसमे श्रेणी–1 के समान प्रकिया अपनाई जाऐगी ।

जो संस्था एस.आई.ए.एफ. से एम्पेनल्ड है एवं जिसका एन.ए.बी.एच. 31.03.2019 के पश्चात एक्सपायर होता है उस संस्था को श्रेणी–(i) के समान मान्य करते हुए वही प्रावधान लागू होगे।

(iii)– एम.आर.संस्थाः– इन संस्थाओ को भी अपना एन.ए.बी.एच. समाप्त होने मे न्यूनतम एक माह पूर्व आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह का समय प्रदान किया जाएगा। एम.आर. की संबद्वता की श्रेणी से यदि मे संस्थान किसी कारण से प्रथक होते है तो इन संस्थानो को आयुष्मान भारत मे शामिल होने हेतु नियमानुसार आवेदन करना होगा। जिसे श्रेणी–1 के समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(भास्कर लाक्षाकार)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.

पृ. क्रमांक/एस.एच.ए./ए.बी./2018/ [illegible] भोपाल, दिनांक [illegible] /11/2018

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
3. संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. ।
4. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र. आई.ई.सी. ब्यूरो भोपाल।
5. उप संचालक एस.आई.ए.एफ./एम.आर. स्वास्थ्य सेवाये सतपुडा भवन भोपाल म.प्र.।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.